न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना-पत्र संख्या :–4 / 2025
GCMS NO:- 2025/75

दायर दिनांक– 21.4.2025
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

किशनलाल आ0 रामचन्द्र जाति मीणा नि0 रैठोदा।

प्रार्थी

बनाम

जगदीश आ0 छीतर जाति मीणा नि0 रैठोदा। (कुल 24)

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट</u>

उपस्थिति
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर नागर, रामराज नागर।
अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

निर्णय दिनांक 30.5.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रैठोदा प.म. रैठोदा मे भूमि खसरा नम्बर 1335 / 210, 1504 / 247 एवं 248 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9385 हैक्टयर स्थित है जो प्रार्थी के खातेदारी व आधिपत्य मे स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर डोल लगाकर मेड बंदी, तारबंदी कर पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि फसल की सुरक्षा हो सके एवं विवाद पैदा ना हो। प्रार्थी ने इस संबंध मे सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था किन्तु सीमाज्ञान मौखिक व लिखित निवेदन करने के पश्चात भी नही किया गया है। प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 23 पडौसी खातेदार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा, सीमाज्ञान का आवेदन पत्र की प्रति आदि पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नरूका द्वारा वकालातनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है तथा साथ ही प्रार्थी द्वारा करवाये गए सीमाज्ञान आवेदन मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट की प्रति भी पेश की। अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 का इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है।

हमनें प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बरान 1335 / 210, 1504 / 247, 248 मे से खसरा नम्बर 1335 / 210 पर प्रार्थी का कब्जा नही है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही होगा अतः प्रार्थी का संपूर्ण भूमि ,खसरा नम्बरान 1335 / 210, 1504 / 247, 248 पर कब्जा नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी नैनवॉ